# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या–1107/2017/बूंदी**

मै0 शिवम इलेक्ट्रोनिक, एच–1–56–ए,
रीको इण्डस्ट्रीज एरिया, हट्टीपुरा, बूंदी
जिला कोटा। ...अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन),
वाणिज्यिक कर,
कोटा। ...प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**
**श्री के.एल.जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री पंकज घीया
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 02.04.2018**

## निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा खण्ड कोटा (जिसे आगे **"प्रशासनिक अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश क्रमांक उपा/प्रशा/कर/2016–17/2560 दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 08.07.09 के अन्तर्गत वांछित खादी यूनिट हेतु प्रदत्त Exemption प्रमाण पत्र देने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा खादी ग्रामोद्योग इकाई के तहत बिक्री पर कर मुक्ति चाहने हेतु दिनांक 04.01.2012 को आवेदन किया गया जिसकी जांच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–द्वितीय, वृत्त बूंदी द्वारा कराई गई। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट–द्वितीय वृत्त बूंदी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 278 दिनांक 23.06.2016 के अनुसार मौके पर व्यवसायी सम्बन्धी कोई गतिविधि सुचारू रूप से नहीं होने एवं टर्न ओवर शून्य में होने के कारण व्यवहारी की करापवंचन मंशा जाहिर करते हुये व्यवहारी को करमुक्ति प्रमाण–पत्र नहीं दिये जाने की अनुशंषा की गई। पुनः विस्तृत जांच करने हेतु सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त विशेष प्रथम अतिरिक्त चार्ज–वृत्त–विशेष तृतीय, कोटा को लिखा गया। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग वृत्त विशेष प्रथम अतिरिक्त चार्ज वृत विशेष तृतीय, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार व्यवहारी द्वारा व्यवसायी स्थल पर आटाचक्की का निर्माण नहीं किया जाता बल्कि व्यवहारी द्वारा राजकोट (गुजराज) से तैयारशुदा आटा चक्की खरीद कर बेचने का कार्य किया जाता है तथा व्यवहारी द्वारा कोई लेबर नहीं रखी गयी है एवं जांच के समय आटा चक्की निर्माण से सम्बन्धित रॉ–मेटेरियल (जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, किट, हार्डवेंयर, प्लाई नट, बोल्ट, निपकाने का सोल्यूशन आदि) नहीं मिले। जांच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि व्यवहारी कर मुक्ति

लगातार.....2

पात्रता प्रमाणन के मानकों को पूरा नहीं करता है। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा कर मुक्ति प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करते हुये नियमानुसार कार्यवाही कर बकाया देय कर वसूली हेतु निर्देश दिये है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र एकपक्षीय जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अस्वीकार किया है जो न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है। प्रार्थी का कर मुक्ति चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में विधिवत जांच कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया हैं। प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं था क्योंकि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसके संबंध में प्रार्थी को दायित्व था कि वह समस्त साक्ष्य संलग्न करता। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा खादी ग्रामोद्योग इकाई के तहत बिक्री पर कर मुक्ति चाहने हेतु दिनांक 04.01.2012 को आवेदन किया गया। इस आवेदन पत्र के संबंध में जांच करवाये जाने पर उपायुक्त (प्रशासन) ने यह माना है कि प्रार्थी कर मुक्ति प्रमाण पत्र की पात्रता प्रमाणन के मानको को पूरा नहीं करता हैं। उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा दो विभिन्न स्तरों पर जांच करवायी गई है परन्तु इन जांच रिपोर्ट पर प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। इस संबंध में The Rajasthan Value Added Tax Rules, 2006 के नियम 48 का अवलोकन करना समीचीन है :–

**48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,-** Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसार यदि कोई ऐसा आदेश पारित किया जाता है जो किसी व्यक्ति के हितो के प्रतिकूल हो तो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। विचाराधीन प्रकरण में उपायुक्त (प्रशासन) का यह दायित्व था कि प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी को नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते ताकि प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर मिल सकता। इस दृष्टिकोण से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य हैं।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपायुक्त (प्रशासन) को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे इस संबंध में प्रार्थी व्यवहारी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। व्यवसायी उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष दिनांक 30.04.2018 को उपस्थित हो।

9. निर्णय सुनाया गया।

( के.एल.जैन )
सदस्य

( नत्थूराम )
सदस्य